

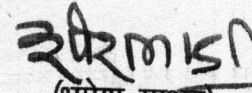
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-353) अलेसे-1/७२1

दिनांक:- 02/11/21

कार्यालय आदेश

श्री रूपकिशोर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंक नं0 1930), कार्यालय प्राचार्य, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर ने स्वयं के नाम परिवर्तन के लिए राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-8 के निर्णय संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री रूपकिशोर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंक नं0 1930), कार्यालय प्राचार्य, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर का नाम परिवर्तित कर, "श्री रूपकिशोर" के स्थान पर "श्री रूपकिशोर मेहरा" करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

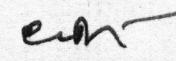

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-353) अलेसे-1/७२1

दिनांक:- 02/11/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्राचार्य, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर।
2. श्री रूपकिशोर मेहरा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-प्राचार्य, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर।
3. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।


(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)